न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 47/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00362

प्रार्थी :–

1. भगवतसिंह पुत्र श्री खीमसिंह जी जाति राजपूत निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रतनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह
2. अभयसिंह पुत्र श्री मुलसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण साण्डेराव तहसील जिला पाली (राज.)
3. ग्राम पंचायत साण्डेराव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नारायणलाल कुमावत उपस्थित
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 30/3/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के विरूद्ध ग्राम पंचायत साण्डेराव द्वारा मिसल संख्या 269/1980 दिनाँक 22.06.1980 में आदेश एवं प्रस्ताव संख्या 218 दिनांक 25.07.1980 की अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 222 दिनांक 22.07.1981 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत साण्डेराव से जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी का पैतृक आवासीय मकान ग्राम साण्डेराव तहसील सुमेरपुर में आबादी क्षेत्र के राजपूतों का बास मगरे की ढाल पर स्थित है जो वर्षों पूर्व जर्जर अवस्था में होने से भूखण्ड के रूप में तब्दील हो गया है प्रार्थीगण के उक्त पैतृक रहवासीयश मकान का तथा खाली पड़ी भूमी को हड़पने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 से मिलावट कर अपने हक में पट्टा जारी करा दिया जो निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा पंचायत राज नियमों की पालना करते हुए जारी नहीं किया गया है। जैर गिनरानी आराजी प्रार्थीगण के पैतृक आवासीय मकान की भूमी थी जिस पर प्रार्थीगण का पूर्वजो से लगातार कब्जा एवं स्वामित्व रहा है उस भूमि को नजूल आबादी भूमी मानकर पट्टा जारी कर दिया जबकि प्रार्थीगण का पुस्तैनी भूखण्ड होने से तथा पूर्व में उनका रहवासीय मकान होने से वह नजूल आबादी भूमी नहीं है। पंचायत को ऐसी भूमीयों में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। इस कारण पट्टा निरस्त योग्य है। इस बाबत तत्कालीन सरपचं उगमसिंह द्वारा बिना विधीवत प्रस्ताव पारित किए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को फायदा पहुंचाने की नीयत से जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव पारित किया जो पंचायत राज नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही उन्होंने ऐसा निवेदन किया है तथा पट्टा किस आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी है बिना [illegible] अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा निरस्तनीय है। ग्राम [illegible] जमा नहीं की न मौका नक्शा तैयार [illegible] पंचों द्वारा मौक[illegible] तैयार करवाई गई अर्थात बिना मौका व नक[illegible] के जारी पट्टा पंचाय[illegible] नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:27:17 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................2

ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का आपत्ती इस्तिहार जारी नहीं किया गया है पट्टे सम्बन्धी कोई मिसल कायम नहीं की गई। न मिसल पंचायत कोरम में रखी गई। न ही पंचायत द्वारा किसी प्रकार की आदेशिका ही पारित की गई। पट्टे सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधानों की पालना नहीं की गई इस वजह से भी पट्टा निरस्तनीय है पट्टा जारी करने बाबत विधिवत प्रस्ताव नहीं लिया गया है मात्र सरपंच द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए गुपचुप तरीके से पट्टा फॉर्म भरकर जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थीगण को जारी कर दिया गुपचुपर रूप से पट्टा जारी करने से प्रार्थी को पट्टे बाबत जानकारी नहीं हो सकी प्रथम बार 17.10.2016 को पट्टा बताते हुए पट्टा भूमी पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा करने की धमकी देने पर जानकारी हुई तो प्रतिलिपी लेकर दिनांक 17.10.2016 को शिघ्र निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावे व जैर निगरानी पट्टा उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर खारिज फरमाने के आदेश जारी करावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत साण्डेराव के पत्रांक ग्राम प./413/2020 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे सम्बन्धी मिसल संख्या 269/1980 तथा प्रस्ताव संख्या 218 दिनांक 25.7.1980 रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है उसके बावजूद अधिवक्ता प्रार्थी का यह कहना कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई है अधिवक्ता प्रार्थी के इस तर्क का कोई आधार नहीं है। बिना मिसल एवं प्रस्ताव रजिस्टर के यह नहीं कहा जा सकता है कि पट्टा नियमों की पालना करते हुए जारी नहीं किया गया है न ही यह विवेचना संभव है कि पंचायत राज नियमों की पालना की गई है अथवा नहीं। अर्थात अधिवक्ता प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि ग्राम पंचायत साण्डेराव द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियमों में प्रदत प्रावधानों की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निगरानी के बिन्दु संख्या 3 के पंक्ति संख्या 3 में उल्लेखित है कि 'बिना विधीवत मिसल कायम किए तथा ग्राम पंचायत से विधिवत प्रस्ताव पारित किए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को फायदा पहुंचाने की नीयत से जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव जारी किए है उक्त एक ही वक्त में प्रस्ताव परित नहीं करना व करना दोनों अंकित किए गए है जो विरोधाभाषी होने से मान्य तथ्य नहीं है। जैर निगरानी पट्टे की प्रति पट्टा बुक में उपलब्ध है जिस पर सरपंच, उपसरपंच, व नक्शा नवीस सचिव के हस्ताक्षर किए हुए है पट्टो के पृष्ठ भाग पर नक्शा बना हुआ है पड़ोस भी अंकित है एवं पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 अभयसिंह द्वारा प्राप्त किया हुआ है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई नहीं देती है। पट्टे में पट्टा बाबत वसूली गई राशी, रसीद नम्बर दिनांक एवं प्रस्ताव संख्या व दिनांक का अंकन है जो विधिवत है। पट्टा आबादी भूमी में जारी किया गया है इससे यह प्रार्थी भी सहमत है प्रार्थी ने जैर निगरानी भूमी उसकी पुश्तैनी भूमी होने बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज पेश नहीं किया है न ही वे भूमी के अपने स्वामित्व की होना सिद्ध कर पाये है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया गया जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव जो पट्टे में वर्णित है उन्हें खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:27:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश...................3

जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 222 दिनांक 22.07.1981 जो तथाकथित मिसल संख्या 269/22.06.1980 में पारित आदेश एवं प्रस्ताव संख्या 218 दिनांक 25.07.1980 की पालना में दिनांक 22.07.1981 को जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:27:17 IST
Reason: SelfAttested